न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 4217/2015

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

इन्द्रा पुत्री देवा दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान) **प्रार्थी**

बनाम

1. मांगी देवी पत्नि देबीलाल दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
2. नाना पिता उगमा गुजर जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी मरडा की झुपडिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
3. ज्ञानेन्द्रसिंह पिता चौथमल महाजन जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
4. सुरेन्द्रसिंह पिता चौथमल महाजन जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
5. खुसराज पिता देबीलाल दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
6. भारतसिंह पिता देबीलाल दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
7. राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार साहब कोटडी जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 11/2/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 12/12/2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम नन्दराय, पटवार हल्का नन्दराय, भू.अ. क्षैत्र नन्दराय, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि आराजी संख्या 2129 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 2236 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2872 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 2873 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 2874 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 2875 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 3951 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा कुल कीता 7 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **नन्दराय** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम नन्दराय, पटवार हल्का नन्दराय, भू.अ. क्षैत्र नन्दराय, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि आराजी संख्या 2129 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 2236 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2872 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 2873 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 2874 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 2875 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 3951 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा कुल कीता 7 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1150 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।